Import of Jute

368. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the total production and supply of raw jute in the country;

(b) whether any shortage is anticipated in jute production;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, whether Government propose to import jute; and

(d) whether Government propose to fix the quota of jute for each unit according to its capacity instead of leaving the industry free to purchase jute?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY (SHRI P. A. SANGMA): (a) The total supply of raw jute in the country during the current jute season 1984-85 including imports, is estimated at 85.50 lakh bales as under:—

Figures in lakh bales of 180 kgs. each

Carry-over stocks from previous season	....9.50
Domestic production	....73.00
Imports	....3.00
Total:	....85.50

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The Govt. have already authorised Jute Corporation of India to import 5 lakh bales of raw jute during 1984-85 season to bridge the gap between supply and demand position. However, against the above authorisation, JCI has been able to contract for import about 2 97 lakh bales only, out of which a quantity of about 1,06,000 bales has already arrived.

(d) For correcting the uneven distribution of raw jute among mills, the Jute Commissioner has issued orders under the Jute (Licensing and Control) Order, 1961 regulating the stock holdings of the mills to bring about more equitable distribution of raw jute.

एकाधिकार घरानों को लाइसेंस देना

369. **श्री हुकमदेव नारायण यादव:** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर से दिसम्बर, 1984 के बीच जिन एकाधिकारी घरानों को नए लाइसेंस दिये गये, उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उनके नाम और पते क्या-क्या हैं तथा जिन उद्योगों के लिये लाइसेंस दिए गये हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन उद्योगपतियों को भी नये लाइसेंस दिये गये है जिनके विरुद्ध औद्योगिक नियमों का उल्लंघन करने के लिये कई मुकदमे चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या-क्या हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) अक्तूबर-दिसम्बर, 1984 की अवधि के दौरान, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को, 19 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए । इनमें से 9 औद्योगिक लाइसेंस विद्यमान उपक्रमों में पर्याप्त विस्तार करने के कारण, 2 नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए तथा कार्य चालू रखने के आधार पर 2 लाइसेंस दिए गए थे ।

(ख) एकाधिकार अवरोधक व्यापार अधिनियम (एम०आर०टी०पी०) के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों सहित सभी औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम व पता विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापना-स्थल आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा 'मन्थली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे है । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।